न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 133/2022
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए

1. जगदेव कुमार
2. आशीष

| पि. जोतराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 15 धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।

–वादीगण

बनाम

1. जोतराम पुत्र बनवारीलाल जाति जाट नि. धोलीपाल तह. व जिला हनुमानगढ राज.
2. गीतादेवी पुत्री बनवारीलाल पत्नी नोपाराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 10 झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)
3. मंजू पुत्री जोतराम पत्नी फूसाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)
4. ममता पुत्री जोतराम पत्नी मोहित कुमार जाति जाट निवासी 9–10 बी.एन.डब्ल्यू. वार्ड नं. 8 श्रीगंगानगर (राज.)
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री कैलाश सिंवल –वकील वादीगण
2. श्री परविन्द्र सिंह–वकील प्रति.सं. 1 ता 4

दिनांक :– 17.10.2024

निर्णय

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 2 ता 4 के दादा एवं प्रतिवादी सं. 1 के पिता बनवारीलाल पुत्र जीसुखराम के नाम से चक नं. 8 एम.एम.के. खाता सं. 41/34 जं.सं. 2072–75 खाता बनवारीलाल में 2.783 है. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 के दादा तथा प्रतिवादी सं. 2 के 1 व 2 के पिता बनवारीलाल पुत्र जीसुखराम की मृत्यु हो चुकी है। वादपत्र की चरण सं. 3 में वादीगण [illegible] प्रतिवादी सं. 3 व 4 के दादा तथा [illegible] प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता स्व. श्री बनवारीलाल पुत्र जीसुखराम [illegible] एवं दर्ज कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की [illegible] प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का जन्म से विरासतन [illegible] प्रतिवादी सं. 1 ने आपस में घरू बंटवारा कर रखा है। प्रतिवादी सं. [illegible] ने अन्य चल अचल सम्पतियां प्राप्त कर ली है। अब प्रतिवादी सं. 1 वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा नही रखना चाहता है। प्रतिवादी सं. 2 वादीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.04 14:45:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

बुआ है। प्रतिवादी सं. 2 ने अपने हक वा हिस्सा का परित्याग वादीगण के पक्ष में कर दिया है। अब प्रतिवादी सं. 2 वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा नही रखना चाहती है। अतः वादीगण प्रतिवादी सं. 2 के हक व हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एंव दावेदार है। प्रतिवादी सं. 3 व 4 वादीगण की बहिने है। प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने अपने हक व हिस्सा का परित्याग वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब कर दिया है। अब प्रतिवादी सं. 3 व 4 वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा नही रखना चाहती है। अतः वादीगण प्रतिवादी सं. 3 व 4 के हक वा हिस्सा के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एंव दावेदार है। वादीगण वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि पर ब.हि.ब. से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है किन्तु कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम दर्ज नही होने से वादीगण के विधिक एवं खातेदारी अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ता है। वादीगण वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करवा देंवे। कई बार अनुनय विनय करने पर पहले तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल कहकर टालते रहे लेकिन गत सप्ताह प्रतिवादीगण ने ऐसा करवाने से पूर्णतया इनकार कर दिया है। बस यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश किया। प्रतिवादी संख्या 5 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी जगदेव कुमार ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार विरासतन साक्ष्य में चक 8 एमएमके खाता संख्या 41/34 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 की जमाबन्दीयां की प्रमाणित प्रति पेश की गई। [illegible] साथ ही वादी जगदेव कुमार ने 50/– रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प [illegible] विम [illegible] देवी लॉऔलाद फौत होने का शपथ पत्र नोटरी से प्रमाणित [illegible] विमला, कलावती के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रतियॉं पेश की गई। जो संलग्न पत्रावली है। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है [illegible]ए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaush
Date: 2024.11.04 14:45:52 IS
Reason: SelfAttested

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि चक 8 एमएमके खाता संख्या 41/34 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में 2.783 हैक्ट. कृषि भूमि मृतक दादा बनवारी लाल वल्द जीसुख के नाम दर्ज है जो हमारी जददी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादीगण ने चक 8 एमएमके खाता संख्या 41/34 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 की जमाबन्दी पेश की गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार मृतक बनवारी लाल वल्द जीसुख के नाम चक 8 एमएमके खाता संख्या 41/34 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 आराजी दर्ज है। प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर सहमति का जवाब दावा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमति के जवाब दावा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :– मृतक बनवारी लाल पुत्र जीसुख के नाम दर्ज चक नं. 8 एमएमके खाता सं. 41/34 जं.सं. 2072–2075 में 2.783 है. भूमि का वादीगण को काबिज का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मृतक बनवारी लाल पुत्र जीसुख का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्ण डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2024 न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.04 14:45:52 IST
Reason: SelfAttested

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
मंडावरिया

डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 458 / 2024

1. जगदेव कुमार
2. आशीष

पि. जोतराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 15 धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।

–वादीगण

बनाम

1. जोतराम पुत्र बनवारीलाल जाति जाट नि. धोलीपाल तह. व जिला हनुमानगढ राज.
2. गीतादेवी पुत्री बनवारीलाल पत्नी नोपाराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 10 झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)
3. मंजू पुत्री जोतराम पत्नी फूसाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)
4. ममता पुत्री जोतराम पत्नी मोहित कुमार जाति जाट निवासी 9–10 बी.एन.डब्ल्यू. वार्ड नं. 8 श्रीगंगानगर (राज.)
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री कैलाश सिवल वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री परविन्द्र सिह वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि मृतक बनवारी लाल पुत्र जीसुख के नाम दर्ज चक नं. 8 एमएमके खाता सं. 41 / 34 ज.सं. 2072–2075 में 2.783 है. भूमि का वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मृतक बनवारी लाल पुत्र जीसुख का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोटः– यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बाबत्....X....निल....500/ खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक....X.... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 17.10.[illegible] को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.04 14:45:52 IST
Reason: SelfAttested

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया